गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

पत्रांक: गौ.बु.प्रा.वि/कुस.का/एके./2011/24487-25101 दिनांक: 5 अगस्त, 2011

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय एवं
महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय से
सम्बद्ध समस्त संस्थाएं ।

विषय- प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबन्ध में मुझे यह कहने की अपेषा है कि विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ.बु.प्रा.वि/कुस.का/एके./2011/20475-21069 दिनांक: 23 जुलाई, 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 28.6.2011 को सम्पन्न बैठक के कम में शासन के पत्र सं0 2424/सोलह-1-2010-250/96 टीसी, दिनांक 15.7.2011 के द्वारा रैगिंग की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही कराए जाने के लिये आवश्यक दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये विश्वविद्यालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23 जुलाई 2011 द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है ।

इस संबन्ध में यह अवगत कराना है कि उक्त के संदर्भ में पूर्व ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक प्रभावी उपाय सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में शासन के पत्र सं0 821/सोलह-1-2009-1-250/96, दिनांक 26 मार्च, 2009 की प्रति विश्वविद्यालय के पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009/46190-46626, दिनांक 28 मार्च, 2009 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों (पत्र सं0 एफ-1-16/2007(सीपीसी-II), दिनांक 17 जून, 2009) की प्रति संलग्न कर विश्वविद्यालय के पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009/11691-17125, दिनांक 9.7.2009 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 08 मई, 2009 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र सं0 370/04/XI-A, दिनांक 12 जून, 2009 जो

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन 2732193, फैक्स 2732185

शासन के पत्र सं0 1835/सोलह-1-2009-1-250/96, दिनांक 03 सितम्बर, 2009 द्वारा प्राप्त हु की प्रति संलग्न कर विश्वविद्यालय के पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009/26742-274 दिनांक 08 सितम्बर, 2009 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम-2009 में दिये गये प्राविधानों के अनुपालन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयो नई दिल्ली के पत्र सं0 एफ-1-16/2009 (सीपीसी-II), माह सितम्बर, 2009 की प्रा विश्वविद्यालय के पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009/41897-42505, दिनांक 19 नवम्ब 2009 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 जो शासन के पत्र सं0 923/सोलह-1-2010, दिनांक 15 अप्रैल, 2010 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त अधिनियम विश्वविद्यालय के पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/560-1150, दिनांक 21 अप्रैल, 2010 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित करते हुए अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अर्न्तगत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जाने विषयक शासनादेश सं0 2336/सोलह-1-2008-1-200/96 टी0सी0, दिनांक 27 जुलाई, 2010 जिसकी प्रति विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/18511 -19100, दिनांक 29 जुलाई, 2010 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत संदर्भित शासनादेशों का उल्लेख करते हुए शासन द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार प्रदेश की अभियंत्रण संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा रोकने के लिये आवश्यक निर्देश दिये गये है।

प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या की रोकथाम हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 11.7.2009 में दिये गये दिशा निर्देशों की प्रति विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2011/63220-63858, दिनांक 11 मार्च, 2011 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रैगिंग निरोधक डीवीडी युक्त फिल्म को अपलोड किये जाने से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं0 F-11/2008(Anti Ragging), दिनांक 04 जुलाई, 20011 की प्रति संलग्न करते हुए विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2011/17250-17845, दिनांक 15.7.2011 द्वारा समस्त संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रैगिंग निरोधक डीवीडी युक्त फिल्म को डाउनलोड करें तथा शैक्षिक सत्र 2011-12 के प्रारम्भ होने से पूर्व ही सीनियर तथा जूनियर छात्रों के मध्य इसका व्यापक प्रचार करें। इसके अतिरिक्त शैक्षिक सत्र की सम्पूर्ण अवधि के दौरान इसका निरन्तर अनुवीक्षण भी किया जाना चाहिए। उक्त डीवीडी युक्त फिल्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में वर्ष 2009 के दौरान विद्यमान रैगिंग के जोखिम की समस्या को नियंत्रित करने के संबंध में यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित नियमनों के अनुपालन तथा इस विषय में विभिन्न समितियों के गठन से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं0

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन 2732193, फैक्स 2732185

एफ/1-15/2009 (रैगिंग निरोधक) दिनांक 23 जून, 2011 की प्रति विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2011/17846-18441, दिनांक 15 जुलाई, 2011 द्वारा समस्त संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 23.6.2011 में उल्लिखित रेगुलेशन्स के द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं का संस्था स्तर पर अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियत्रंण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित सार्वजनिक अधिसूचना की प्रति विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2011/19096-19690, दिनांक 18 जुलाई, 2011 द्वारा समस्त संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी उक्त सार्वजनिक अधिसूचना में दिये गये रैगिंग विरोधी निवारक उपायों का सत्र 2011-12 प्रारम्भ होने से पूर्व संस्था स्तर पर कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त समस्त पत्र/ अभिलेख विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त सूचना के साथ रैगिंग के विषय में आपको पुन: सूचित किया जाता है कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय के अनुसार संस्था स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार संस्था स्तर पर अपेक्षित व्यवस्थाएं गठित की जाए और इस परिपेक्ष्य में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

भवदीय,

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक-उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/महामहिम कुलाधिपति महोदय, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
3. कुलसचिव, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोयडा ।
4. अपर परीक्षा नियत्रंक, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त पत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर डलवाने का कष्ट करें ।
5. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन 2732193, फैक्स 2732185